



Neutral Citation No. - 2026:AHC:55874DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट सी याचिका संख्या - 2132 वर्ष 2026

ललाराम

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: शशि कुमार मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति अजीत कुमार

माननीय न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी

1. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शशि कुमार मिश्रा और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रदीपता कुमार शाही की दलीलें सुनी गईं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. वर्तमान रिट याचिका में प्रतिवादी संख्या 2 को याचिकाकर्ता को 5 लाख रुपये का अनुग्रह मुआवजा देने का निर्देश देने हेतु परमादेश की प्रकृति का निर्देश मांगा गया है, जो याचिकाकर्ता के भाई की मृत्यु के कारण "मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना" के तहत देय है।

3. यह निर्विवाद तथ्य है कि याचिकाकर्ता के भाई, राम सिंह, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी, की मृत्यु 27.07.2021 को सांप के काटने से हुई, जो उन्हें अपने खेत की सिंचाई करते समय लगी थी। घटना को पुलिस रिकॉर्ड में जी.डी. संख्या 61 दिनांक 27.07.2021 के तहत तुरंत दर्ज किया गया था, और मृतक को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, दिबियापुर, जिला औरैया ले जाया गया, जहां उन्हें सांप के काटने के कारण बेहोश पाया गया।

4. उसी दिन जांच रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें गवाहों ने बताया कि कृषि कार्य के दौरान सांप के काटने से मृत्यु हुई थी। इसके बाद, 28.07.2021 को दोपहर लगभग 1:30 बजे पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें मृत्यु का कारण संक्रमण के कारण सेप्टीसीमिया बताया गया और आंतरिक अंगों को सुरक्षित रखा गया। 06.12.2021 को हुई जिला स्तरीय समिति की बैठक के विवरण में आवेदन लंबित होने और आंतरिक अंगों को सुरक्षित रखे जाने का उल्लेख है।

5. इसके बाद याचिकाकर्ता ने सक्षम अधिकारियों के समक्ष दिनांक 09.05.2022 और 13.06.2023 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए, जिसमें दिनांक 28.02.2020 और 08.07.2021 के सरकारी आदेशों का हवाला दिया गया, जिनमें कहा गया है कि विसरा रिपोर्ट के अभाव में दावे में देरी नहीं की जा सकती और वित्तीय सहायता शीघ्रता से जारी की जानी चाहिए। इसके बावजूद, मुआवजे की राशि आज तक जारी नहीं की गई है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा मुआवज़ा रोकने की कार्रवाई मनमानी, अवैध और 8 जुलाई 2021 के सरकारी आदेश के विपरीत है। यह तर्क दिया गया है कि 8 जुलाई 2021 के सरकारी आदेशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विसरा रिपोर्ट प्राप्त न होना इस मामले में दावे में देरी का कारण नहीं हो सकता है और अधिकारियों को जांच रिपोर्ट और 8 जुलाई 2021 के सरकारी आदेशों में निर्दिष्ट अन्य उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर मामले का निर्णय करना आवश्यक है।

7. विद्वान अधिवक्ता ने ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [2022 (8) ए.डी.जे. 260 (डीबी)] और किशोरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2026 एससीसीऑनलाइन ऑल 546 में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के निर्णयों पर भरोसा जताया है। विद्वान अधिवक्ता ने किशोरी (उपरोक्त) के फैसले के पैराग्राफ 13 का हवाला देते हुए यह प्रदर्शित किया कि सरकारी आदेश दिनांक 08.07.2021 के अनुसार सांप के काटने से मृत्यु होने पर आंतरिक अंगों की आवश्यकता नहीं होती है, जिसे आसान संदर्भ के लिए नीचे दिया गया है।

"13. ...सुविधा और स्पष्टता के लिए, पूरा पत्र नीचे दिया गया है:

"अत्यंत महत्वपूर्ण सं.-

157/ए-11-2020-04(जी)/2015-टीसी

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अतिरिक्त मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश सरकार।

सेवा में,

सभी जिला मजिस्ट्रेट,

उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-11 लखनऊ: दिनांक: 08 जुलाई, 2021

विषय:- सर्पदंश के कारण मरने वाले व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह सहायता प्रदान करने के संबंध में।

श्रीमान,

1. उपर्युक्त सरकारी अधिसूचना संख्या यूओ-20/ईके-11-2018-4(जी)/2015 दिनांक 02.08.2018 में, सर्पदंश को राज्य आपदा घोषित किया गया है, और यह प्रावधान किया गया है कि सर्पदंश के कारण मृत्यु होने की स्थिति में, प्रत्येक मृत व्यक्ति के आश्रितों को 4.00 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता प्रदान की जाएगी।
2. सरकार के संज्ञान में आया है कि, सर्पदंश के कारण मृत्यु को प्रमाणित करने के उद्देश्य से, मृतक के विसरा को जांच के लिए फोरेंसिक प्रयोगशाला में भेजा जाता है, और विसरा जांच रिपोर्ट के लंबित रहने के दौरान, मृतक के आश्रितों को समय पर अनुग्रह सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती है। राज्य फोरेंसिक कानूनी प्रकोष्ठ की राय के अनुसार, सर्पदंश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के मामलों में विसरा जांच रिपोर्ट पर जोर देने का कोई औचित्य नहीं है, और यह सूचित किया गया है कि सर्पदंश के कारण मृत्यु केवल विसरा जांच रिपोर्ट के आधार पर स्थापित नहीं की जाती है।

3. राज्य मेडिको लीगल सेल की सलाह के अनुसरण में, और उचित विचार करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि, सर्पदंश के कारण मृत्यु के मामलों में, चूंकि विसरा परीक्षा रिपोर्ट की कोई प्रासंगिकता नहीं है, इसलिए मृतक के आश्रितों को अनुग्रह सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:

(1) मृतक का पंचनामा तैयार किया जाना चाहिए।

(2) मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाए।

(3) पोस्टमार्टम के बाद मृतक की विसरा रिपोर्ट को सुरक्षित रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(4) सर्पदंश के कारण मृत्यु होने की स्थिति में मृतक के आश्रितों को अधिकतम 7 दिनों की अवधि के भीतर अनुग्रह सहायता प्रदान की जाएगी।

4. तदनुसार, मुझे यह बताने का निर्देश दिया जाता है कि, सर्पदंश के कारण मृत्यु के मामलों में, ऊपर उल्लिखित प्रक्रिया का सख्ती से पालन करते हुए, मृतक के आश्रितों को अनुग्रह सहायता प्रदान करने से संबंधित सभी मामलों को 7 दिनों की अवधि के भीतर निस्तारण का प्रयास किया जाएगा।

भवदीय

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(मनोज कुमार सिंह)

अतिरिक्त मुख्य सचिव'

(मूल रूप से हिंदी में पत्र)''

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि यह मुद्दा किशोरी (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है, जिसमें यह निम्नानुसार आयोजित किया गया है:

21 पक्षकारों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने और अभिलेखों के अवलोकन के बाद, यह स्पष्ट है कि दिनांक 02.08.2018 की सरकारी अधिसूचना स्पष्ट रूप से सांप के काटने से होने वाली मृत्यु को एक ऐसी परिस्थिति के रूप में मान्यता देती है जो मृतक के आश्रितों को अनुग्रह राहत के लिए अधिकृत करती है। यह भी स्पष्ट है कि दिनांक 02.08.2018 की अधिसूचना एक राज्य-विशिष्ट नीति है जिसका उद्देश्य आपदाओं या आपदाओं के मामलों में सहायता करना है जो अन्य नीतियों के तहत राहत के लिए शामिल नहीं हैं। इसलिए, उक्त अधिसूचना में सांप के काटने के कारण मृत्यु सहित विशिष्ट स्थानीय आकस्मिकताओं से प्रभावित परिवारों को राहत देने पर विचार किया गया है।

22. दिनांक 08.07.2021 की बाद की सरकारी अधिसूचना विशेष रूप से उन परिस्थितियों को संबोधित करती है जहां सर्पदंश के कारण मरने वाले मृत व्यक्ति के आश्रितों को तकनीकी आधार पर अनुग्रह राहत से वंचित किया जा रहा था या देरी की जा रही थी, विशेष रूप से विसरा रिपोर्ट की अनुपलब्धता के कारण। अधिसूचना स्पष्ट रूप से स्पष्ट करती है कि विसरा रिपोर्ट की अनुपस्थिति दावे को खारिज करने का आधार नहीं होगी और राज्य भर के जिला मजिस्ट्रेटों को

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अनुग्रह राहत का समय पर वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश देती है, अधिमानतः सात दिनों के भीतर...”

-

9. विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विसरा रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और इसलिए, इसे इस न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता है, जिसके लिए राज्य की ओर से पेश अधिवक्ता ने प्रार्थना की थी और इस मामले में दिनांक 09.02.2026 के अपने आदेश में इस अदालत द्वारा समय दिया गया था। हालांकि, विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस बात पर विवाद नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता के दावे को लंबित रखा गया है और विसरा को संरक्षित किया गया है।

10. निर्विवाद तथ्यात्मक पृष्ठभूमि और पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों के आलोक में, इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो मुख्य मुद्दा उठता है, वह यह है कि क्या प्रतिवादी सांप के काटने से मृत्यु का संकेत देने वाली जांच रिपोर्ट और अन्य समकालीन सामग्री के अस्तित्व के बावजूद, और दिनांक 08.07.2021 के सरकारी आदेशों के सामने, जो निर्देश देता है कि अधिकारी सात दिनों के भीतर आश्रितों को मुआवजा जारी करने का प्रयास करेंगे।

11. प्रतिद्वंद्वी की दलीलों पर विचार करने और रिकॉर्ड देखने के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता के भाई की मृत्यु से संबंधित तथ्य विवाद में नहीं हैं। जांच रिपोर्ट स्पष्ट रूप से मौत का कारण सांप के काटने से हुई है, जिसे प्रवेश के समय मृतक की स्थिति को ध्यान में रखते हुए

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तत्काल मेडिकल रिकॉर्ड द्वारा समर्थित किया जाता है। दावे पर निर्णय न लेने के लिए अधिकारियों द्वारा सौंपा गया एकमात्र कारण विसरा रिपोर्ट की प्राप्ति नहीं होना प्रतीत होता है।

12. इस न्यायालय ने पाया कि इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले सरकारी आदेशों के मददेनजर योजना के तहत मुआवजे पर फैसला करने में देरी का ऐसा कारण पूरी तरह से अस्थिर है। 28.02.2020 के सरकारी आदेश में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि विसरा रिपोर्ट के अभाव में दावे को खारिज नहीं किया जा सकता है, और बाद में दिनांक 08.07.2021 के सरकारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि विसरा का संरक्षण एक आवश्यक आवश्यकता नहीं है और वित्तीय सहायता के शीघ्र वितरण को अनिवार्य करता है।

13. किशोरी (उपरोक्त) की इस अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि विसरा रिपोर्ट पर जोर देना अनुचित है। लाभकारी योजनाओं को इस तरह से लागू किया जाना चाहिए जो तकनीकी कारणों से निराश होने के बजाय उनके उद्देश्य को आगे बढ़ाए। वर्तमान मामले में प्रतिवादियों द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण, दावे को अनिश्चित काल तक लंबित रखने के लिए, योजना के मूल उद्देश्य के विपरीत है, जो शोक संतप्त परिवार को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

14. इस न्यायालय की सुविचारित राय में, एक बार जब जांच रिपोर्ट और रिकॉर्ड पर अन्य सामग्री के आधार पर मृत्यु का कारण पर्याप्त रूप से स्थापित हो जाता है, तो मुआवजे के लिए आवेदन पर निर्णय लेने में देरी कानूनी रूप से अस्थिर है।

15. तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है और प्रतिवादी संख्या 2, जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया जाता है कि वह कानून के अनुसार सख्ती से लागू योजना के तहत इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर अनुग्रह मुआवजे

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के संबंध में याचिकाकर्ता के लंबित आवेदन को नजरअंदाज करते हुए नए सिरे से निर्णय लें।
लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी) (न्यायमूर्ति अजीत कुमार)

मार्च 18, 2026

शिव

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।